

APPLY ONLINE
शिक्षण / प्रशिक्षण
महिला स्वास्थ्य अभियान
द्वारा संचालित

प्रकाश एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट

विज्ञापन सं०: 02/PECT/2024

Reg.UP2021/0096201381 Date-21/02/2024

आवश्यकता है।

महिला स्वास्थ्य अभियान भारत सरकार का उपक्रम है जिसको संचालित प्रकाश एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य समाज में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाया जा सके। जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश एवं भारत के किसी भी प्रदेश में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर योग्य कर्मठ, प्रयत्नशील, महिलाओं / पुरुष, समाजसेवी, की निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

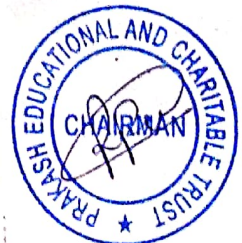
1. पद का नाम / पद संख्या / पारिश्रमिक का विवरण निम्न है—

क्रम.सं०	पद	पदों की संख्या	मासिक वेतन
1.	मंडल विकास अधिकारी	79	31000 /—
2.	जिला समन्वयक अधिकारी	413	23500 /—
3.	ब्लॉक समन्वयक	2500	20500 /—
4.	महिला चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेविकाएं	1250	21500 /—
5.	महिला स्वास्थ्य मित्र एवं सहायक स्वास्थ्य मित्र	69000	3800 /— 2700 /—
6.	कंप्यूटर ऑपरेटर	500	13500 /—

नोट— आवेदन एक पद के लिए एक ही मान्य होगा। अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। आवश्यकतानुसार रिक्त पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है।

आवेदन का तरीका :-

1. अभ्यर्थी अपना आवेदन <https://mahilaswashthabhiyan.in> वेबसाइट पर ऑनलाइन पर कर सकते हैं।
2. अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन करने से पहले विज्ञप्ति की समस्त वांछित सूचनाएं ध्यान पूर्वक पढ़ें। आवेदन अपूर्ण तथा गलत भरने पर आप का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अथवा आप का आवेदन स्व:निरस्त हो जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
3. आवेदन प्रारम्भ तिथि—25.03.2024

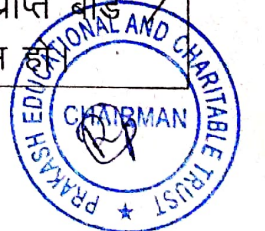


आवश्यक निर्देश :-

1. अभ्यार्थी का चयन बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
2. चयन प्रक्रिया के दौरान यदि एक ग्राम पंचायत में महिला मित्र/सहायक महिला मित्र के पद पर एक से अधिक आवेदन होने पर चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्ति की जायेगी।
3. अभ्यार्थी का चयन प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति तिथि से 11 माह कार्यकाल पूर्ण होने की दशा में ट्रस्ट के नियमानुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आदि दिया जाएगा।
4. अभ्यार्थियों के नियुक्ति के उपरांत 11 माह तक मासिक वेतन के अलावा किसी प्रकार का अन्य भत्ता नहीं देय होगा।
5. अभ्यार्थी आवेदन करते समय ग्राम पंचायत सुनिश्चित कर ले। ऑनलाइन ग्राम पंचायत नहीं शो करने का मतलब वह ग्राम पंचायत पर अभ्यार्थी की नियुक्ति हो चुकी है।

पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता :-

क्र० सं०	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता
1.	मंडल विकास अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्व विद्यालय संस्था से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर पास हो। संबंधित में समाजिक या समाज कार्य में डिप्लोमा अथवा तीन वर्ष का अनुभव यदि कोई हो तो संलग्नक करे।
2.	जिला समन्वयक अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्व विद्यालय संस्था से किसी भी विषय में स्नातक पास हो। संबंधित में समाजिक या समाज कार्य में डिप्लोमा अथवा तीन वर्ष का अनुभव यदि कोई हो तो संलग्नक करे।
3.	ब्लाक समन्वयक	भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से किसी भी विषय में 12वीं पास हो।
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से किसी भी विषय में 12वीं पास हो। तथा हिन्दी इंग्लिश टाइपिंग ओ-लेवल सर्टिफिकेट आनिवार्य है।
5.	महिला चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेविकाएं (ए.एन.एम./जी.एन.एम.)	भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्व विद्यालय संस्था से नर्सिंग डिप्लोमा में पास हो। संबंधित डिप्लोमा में तीन वर्ष का अनुभव धारक हो।
6.	महिला स्वास्थ्य मित्र एवं महिला सहायक स्वास्थ्य मित्र	भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्था से किसी भी विषय में 10वीं पास हो।



अन्य योग्यताएं :-

1. रिक्त पदों के लिए उम्मीदवार मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। जिसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।
2. रिक्त पदों के लिए उम्मीदवार का चरित्र उत्तम होना चाहिए। तथा किसी भी माननीय न्यायालय में अभ्यर्थी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत न हो। यदि हो तो विवरण दे। जिसका चरित्र प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा निर्गत किया हो।

नियमावली :-

1. अभ्यर्थी के सुविधानुसार तैनाती निवास क्षेत्र में ही किया जायेगा। कठिन परिस्थितियों में निवास क्षेत्र से बाहर भी तैनाती की जा सकती है।
2. अभ्यर्थी का चयन शिक्षण प्रशिक्षण के उपरान्त नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र फिल्ड में दिया जायेगा। तथा जिसमें अभ्यर्थी महिला स्वास्थ्य केन्द्र खोल कर केन्द्र की रिपोर्टिंग सम्बंधित कार्यालय को देनी होगी।
3. महिला स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर खोले जायेंगे। जिसकी सूचना सम्बंधित अधिकारियों को देनी होगी।

आयु सीमा :-

क्र०सं०	पद का नाम	आयु सीमा (वर्षों में)
1.	मंडल विकास अधिकारी	21-45
2.	जिला समन्वयक अधिकारी	18-45
3.	ब्लाक समन्वयक	18-40
4.	महिला चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेविकाएं	18-40
5.	महिला स्वास्थ्य मित्र एवं सहायक स्वास्थ्य मित्र	18-40
6.	कंप्यूटर ऑपरेटर	18-40

अंतिम तिथि:- 08.04.2024

आवेदन शुल्क-

क्र०सं०	पद का नाम	वर्ग	आवेदन शुल्क
1.	मंडल विकास अधिकारी	सभी वर्गों के लिए	1100 / -
2.	जिला समन्वयक अधिकारी	" " " "	750 / -
3.	ब्लाक समन्वयक	" " " "	550 / -
4.	महिला चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेविकाएं	" " " "	550 / -
5.	महिला स्वास्थ्य मित्र एवं सहायक स्वास्थ्य मित्र	" " " "	375 / -
6.	कंप्यूटर ऑपरेटर	" " " "	500 / -

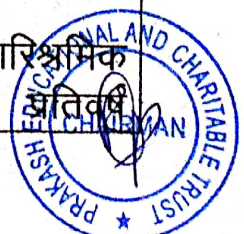


आवेदन शुल्क से सम्बंधित निर्देश:-

1. नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% जीएसटी शामिल है।
2. शुल्क सभी वर्गों के लिए समान है। यह पब्लिक ट्रस्ट होने के कारण आवेदन शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गयी है।
3. आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। ट्रस्ट का निर्यण अंतिम होगा। किसी भी वाद-विवाद की दशा में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उत्तर प्रदेश, लखनऊ होगा।

नियुक्त पदाधिकारी के अधिकार/दायित्व तथा कर्तव्य:-

क्र०सं०	पद का नाम	लक्ष्य एवं कार्य दायित्व, अधिकार, कर्तव्य, एवं लाभ
1.	मंडल विकास अधिकारी	कार्य दायित्व :- • जिले स्तर पर महिला स्वास्थ्य अभियान के तहत शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना। तथा समुचित प्रबन्ध ट्रस्ट से मिलकर उपलब्ध कराना एवं संचालन करना। तथा जिले स्तर पर टीम तैयार करना। लाभ:- • लक्ष्य के अनुसार आप का मासिक पारिश्रमिक 31000/-रु० प्रति माह निर्धारित है। प्रतिवर्ष मासिक पारिश्रमिक में 10% बढ़ोत्तरी की जायेगी। • लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत अतिरिक्त 3000रु० वाहन भत्ता ट्रस्ट द्वारा दिया जायेगा। लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के उपरांत उपरोक्त सुविधाओं से वंचित रहेंगे।
2.	जिला समन्वयक अधिकारी	कार्य दायित्व :- • जिले में ब्लॉक स्तर पर महिला स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र की स्थापना करना। • महिला स्वास्थ्य अभियान के तहत शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना एवं संचालित करना। • केन्द्र पर स्थापित के उपरांत ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु कम से कम 60 से 80 लाभार्थियों की संख्या की व्यवस्था करना। • नियुक्ति के उपरांत आप को अपने कार्य एवं दायित्व की जिम्मेदारी पुरा करने के लिए केवल एक माह का समय ट्रस्ट द्वारा दिया जायेगा। लाभ:- • लक्ष्य के अनुसार आप का मासिक पारिश्रमिक 23500/-रु० प्रति माह निर्धारित है।



		मासिक पारिश्रमिक में 10% बढ़ोत्तरी की जायेगी। • लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत अतिरिक्त 3000रु0 वाहन भत्ता ट्रस्ट द्वारा दिया जायेगा। लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के उपरांत उपरोक्त सुविधाओं से वंचित रहेगे।
3.	ब्लाक समन्वयक अधिकारी	<u>कार्य दायित्व :-</u> • जिले में ब्लाक स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक महिला स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र की स्थापना करना। • आवंटित की गई ब्लाको में महिलाओं को प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महिला स्वास्थ्य अभियान के तहत शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए एक माह का समय अवधि दी जायेगी जिसमें आप को ग्राम पंचायत स्तर पर महिला मित्र का चयन करना आवश्यक होगा। • ट्रस्ट द्वारा प्रदान की गयी सामग्री एवं प्रोडक्ट को महिला स्वास्थ्य केन्द्र पर समय से पहुँचाना होगा, ताकि प्रचार-प्रसार में बाधा न हो। <u>लाभ:-</u> • लक्ष्य के अनुसार आप का मासिक पारिश्रमिक 20,500/-रु0 प्रति माह निर्धारित है। प्रतिवर्ष मासिक पारिश्रमिक में 10% बढ़ोत्तरी की जायेगी। • लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत अतिरिक्त 2000रु0 वाहन भत्ता ट्रस्ट द्वारा दिया जायेगा। लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के उपरांत उपरोक्त सुविधाओं से वंचित रहेगे। <u>कर्तव्य:-</u> • जिला समन्वयक के अधीन निर्देशों को पालन करना। • ट्रस्ट एवं जिला पदाधिकारी को प्रतिदिन अपने कार्यों का रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4.	महिला चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेविकाएं	<u>कार्य दायित्व :-</u> • ब्लाक स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु महिला जागरूकता अभियान का प्रचार प्रसार करना तथा महिला स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र पर लक्ष्य अनुसार महिलाओं को जागरूक करना - समय-समय पर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी



		प्रदान करना। • आवंटित की गई ब्लाको में महिलाओं को प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महिला स्वास्थ्य अभियान के तहत शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए एक माह का समय अवधि दी जायेगी जिसमें आप को ग्राम पंचायत स्तर पर महिला मित्र का चयन करना आवश्यक होगा। • ट्रस्ट द्वारा प्रदान की गयी सामग्री एवं प्रोडक्ट को महिला स्वास्थ्य केन्द्र पर समय से पहुँचाना होगा, ताकि प्रचार-प्रसार में बाधा न हो। लाभ:- • लक्ष्य के अनुसार आप का मासिक पारिश्रमिक 21,500/-रु० प्रति माह निर्धारित है। प्रतिवर्ष मासिक पारिश्रमिक में 10% बढ़ोत्तरी की जायेगी। • लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत अतिरिक्त 2000रु० वाहन भत्ता ट्रस्ट द्वारा दिया जायेगा। लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के उपरांत उपरोक्त सुविधाओं से वंचित रहेंगे। कर्तव्य:- • जिला समन्वयक के अधीन निर्देशों को पालन करना। • ट्रस्ट एवं जिला पदाधिकारी को प्रतिदिन अपने कार्यों का रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5.	महिला स्वास्थ्य मित्र एवं सहायक स्वास्थ्य मित्र	कार्य दायित्व :- • मासिक लक्ष्य प्रतिमाह आप को 100 महिला हेल्थ कार्ड का पंजीयन करना होगा। हेल्थ कार्ड रजिस्ट्रेशन से मिलने वाली सुविधाएं:- - ट्रस्ट द्वारा कार्ड धारक महिलाओं को एक वर्ष तक सेनेटरी नैपकिन पैड निःशुल्क दिया जायेगा। - ट्रस्ट द्वारा कार्ड धारक महिलाओं को एक वर्ष तक फर्टिलाइजर पैड निःशुल्क दिया जायेगा। - महिलाओं को महवारी चक्र से सम्बन्धित समस्या के निदान के लिए 6 माह पर एक लिक्वोरिया सिरप निःशुल्क दिया जायेगा। - कार्ड धारक महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य



चेकप साल मे 3 बार स्वास्थ्य कैम्प के दौरान होगा।

- v. कार्डधारक महिलाओं को डिलेवरी (प्रसव) के दौरान ट्रस्ट द्वारा 1100रु0 की धनराशी अनुदान दी जायेगी। (स्वास्थ्य कार्ड परिवार नियोजन एवं जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक दास्तावेज लगाना आनिवार्य होगा।)
- vi. कार्डधारक महिलाओ का स्वास्थ्य परीक्षण पूर्ण शरीर का साल मे 3 बार जॉच निःशुल्क होगा।
- vii. आवश्यकतानुसार कार्ड धारक महिलाओं को गर्भधारण के दौरान प्रेगनेंसी किट मुहैया कराई जायेगी।
- viii. महिला सदस्य जिनका कार्ड बना हुआ है। उन महिलाओं का इलाज के लिए 15% से 20% तक छूट की सुविधा उपलब्ध ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
- ix. स्वयं सहायता समूह बनाने पर ट्रस्ट रोजगार के लिए प्रोत्साहन करेगा।
- x. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को ट्रस्ट द्वारा 2000/-रु0 का क्रेडिट कार्ड लोन दिया जायेगा।
- xi. ग्रामीण अंचलो में जिस स्थान पर साध नहीं है वहाँ पर केवल महिलाओ के लिए ई-रिक्सा-एम्बुलेंस की ब्यवस्था ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। (लेकिन गाँव मे कार्डधारक सदस्यों की सं0 10,000 पूर्ण हो।)
- xii. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर रोजगार मेला लगा कर शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को शिक्षण-प्रशिक्षण दे कर उनको रोजगार के अवसर प्रदान किया जायेगा।

कर्तव्य:-

- i. ग्राम पंचायत स्तर पर कार्ड धारक महिलाओ को समय-समय पर समान सेनेटरी पैड, दवाएं आदि उपलब्ध कराना होगा।
- ii. महिला स्वास्थ्य मित्र के माध्यम से कार्डधारक महिलओं अपने नजदीकी



प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर टिकाकरण व स्वास्थ्य चिकित्सा जाँच हेतु अस्पताल में ले जा कर इलाज कराना।

- iii. महिला स्वास्थ्य मित्र अपने नजदिकी प्रा० स्वा० केन्द्र में कार्डधारक महिलाओं की निःशुल्क जाँच हेतु ए.एन.एम., जी.एन.एम. के साथ मिलकर उनकी सलाह पर उनके साथ मिल कर कार्य करना।
- iv. ट्रस्ट द्वारा संचालित कार्यक्रम में गति लाने हेतु प्रतिदिन के कार्य का आप को रिपोर्ट एवं फोटो ट्रस्ट के नम्बर पर तथा उपरोक्त अधिकारी व पदाधिकारियों को देनी होगी।

आवश्यक निर्देश:-

- i. स्वास्थ्य कार्ड रजिस्ट्रेशन के समय जो महिला कार्डधारक लिक्वोरिया का सिरप नहीं लेना चाहती है वह उसके स्थान पर मल्टी विटामिन का सिरप ले सकती है।

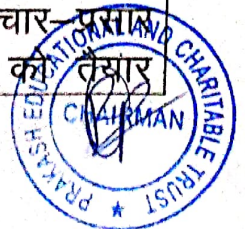
लाभ:-

1. ट्रस्ट द्वारा संचालित कार्यक्रम में जिम्मेदारी से काम करने पर महिला स्वास्थ्य मित्र को 3800/-रु पारिश्रमिक प्रतिमाह दिया जायेगा।
2. सहायक महिला स्वास्थ्य मित्र का मासिक पारिश्रमिक 2700/-रु0 ट्रस्ट द्वारा निर्गत किया जायेगा।
3. आप का लक्ष्य प्राप्ति के उपरान्त उपरोक्त पारिश्रमिक दिया जायेगा। लक्ष्य प्राप्ति न होने के दशा में पारिश्रमिक कटौती के अनुपालन में पारिश्रमिक निर्गत किया जायेगा।
4. प्रतिवर्ष पारिश्रमिक में 10 प्रतिशत वृद्धि ट्रस्ट द्वारा की जायेगी।

6. कम्प्यूटर ऑपरेटर

कार्य दायित्व :-

1. जिला स्तर पर महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रचार-प्रसार करना जिले की प्रस्तुत रिपोर्ट को तैयार



		कर ट्रस्ट कार्यालय में समय से उपलब्ध कराना और प्रति दिन की रिपोर्ट एवं फोटो कार्य विवरण रूप-रेखा प्रस्तुत करना । 2. कमर्चारियों का प्रतिफल/वेतन स्लीप तैयार करना तथा सेलरी स्लीप आफिस को उपलब्ध कराना होगा। 3. ट्रस्ट द्वारा दी गयी सामग्री को जिले व ब्लॉक में रजिस्टर पर चढ़ा कर रिसिव करना। और विवरण करना। 4. प्रतिदिन का कार्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क का हिसाब कर ट्रस्ट के खाते में समय से प्रतिदिन जमा कर रसीद को कार्यालय में प्रेषित करना। लाभ:- • लक्ष्य के अनुसार आप का मासिक पारिश्रमिक 13,500/-रु० प्रति माह निर्धारित है। प्रतिवर्ष मासिक पारिश्रमिक में 10% बढ़ोत्तरी की जायेगी। • लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत अतिरिक्त 1500रु० वाहन भत्ता ट्रस्ट द्वारा दिया जायेगा। लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के उपरांत उपरोक्त सुविधाओं से वंचित रहेंगे। कर्तव्य:- • जिला समन्वयक के अधीन निर्देशों को पालन करना । • ट्रस्ट एवं जिला पदाधिकारी को प्रतिदिन अपने कार्यों का रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
--	--	---

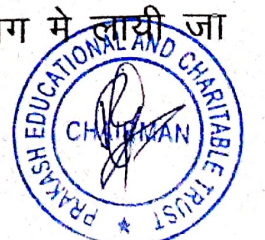
आवश्यक सूचना:- किसी भी कर्मचारी को बिना ट्रस्ट की अनुमति के प्रचार-प्रसार हेतु किसी भी प्रकार की सामग्री तथा कोई सामन नहीं दिया जायेगा। अगर ऐसा करते हैं तो आप की विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो सकती है। जिसके जिम्मेदार स्वयं होंगे।

चयन प्रक्रिया आवेदित पद संख्या 1 से 6 तक के निर्देश :-

- ऑनलाइन प्राप्त आवेदन को सर्व प्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन की जाँच की जायेगी।
- आवेदन के अंतिम तिथि के एक माह बाद परीक्षार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल पर परीक्षा की सूचना प्राप्त होगी।
- अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड (प्रवेश पत्र) ट्रस्ट के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।



- iv. अभ्यार्थी को बेवसाइड पर प्रवेश पत्र मे ही परीक्षा केन्द्र समय तिथि दर्ज होगी।
- v. अभ्यार्थी के सुविधा मे ध्यान मे रख कर ट्रस्ट द्वारा परीक्षा केन्द्र का निर्धारण होगा।
- vi. परीक्षा मे उत्तीर्ण अभ्यार्थी को ई-मेल, मोबाइल, मैसेज द्वारा सूचना ज्वानिंग के लिए दी जायेगी।
- vii. इंटरव्यू (साक्षत्कार) के दौरान अभ्यार्थी को समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, तथा डिप्लोमा आदि की मूल कापी प्रस्तुत करना आनिवार्य होगा। एवं फोटो कापी की प्रतिलिपि स्वः प्रमाणित एक प्रति संस्था को जमा करना होगा।
- viii. साक्षत्कार के दौरान समय पर उपस्थित न होने पर अभ्यार्थी का आवेदन स्वः निरस्त हो जायेगा।
- ix. ट्रस्ट आवेदक/परीक्षार्थी को साक्षत्कार के लिए यात्रा-भत्ता नहीं देगा।
- x. अभ्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 60प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य होगा।
- xi. चयन के उपरांत अभ्यार्थी अपना नवीनतम 6 पासपोर्ट साइज फोटो साक्षत्कार के समय प्रस्तुत करेगा।
- xii. आवेदन शुल्क किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपी.आई. नेट बैंकिंग आदि से भुगतान करने की सुविधा ट्रस्ट द्वारा प्रदान की गयी है।
- xiii. आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आवेदन रसीद की कापी आपने पास सुरक्षित रखे। नियुक्ति प्रक्रिया मे आवश्यकता पड़ सकती है।
- xiv. आवेदन फार्म मे फोटोग्राफ स्पष्ट न होने की दशा में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- xv. आवेदक को नवीन फोटो ही अपलोड करनी होगी। लेकिन चश्मा की फोटो मे अभ्यार्थी का चेहरा साफ दिखे।
- xvi. अभ्यार्थी का फोटो जे.पी.जी./जे.पी.इ.जी. मे होनी चाहिए तथा फाइल फोटो का आकार 50के.वी. से 100 के.वी. तक होनी चाहिए।
- xvii. परीक्षा के दौरान आवेदन पत्र पर संलग्नक फोटो की एक प्रति सम्भाल कर रखे। साक्षत्कार के समय मिलान हेतु प्रयोग मे लायी जा सकती है।



xviii. आवेदन फार्म में हस्ताक्षर केवल आवेदन द्वारा किया जाना ही अनिवार्य है। हस्ताक्षर मिलान में जॉचोपरांत आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

प्रकाश एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट का परिचय :-

- i. प्रकाश एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट भारतीय न्यास (ट्रस्ट) अधिनियम 1882 द्वारा पंजीकृत है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं महिला बाबल विकास भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के अधीन आई0 जी0आर0एस0सं0 151517220188944 द्वारा संयुक्त सचिव मातृ एवं शिशु कल्याण परिवार कल्याण निदेशक उ0प्र0 शासन लखनऊ के अधीन है।
- ii. प्रकाश एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट नीति आयोग, एम.एस.एम.ई., फूड लाइसेंस, विजलेस, आई.एस.ओ. सर्टिफाइड, जी.एस.टी. एजुकेशन आदि से प्रमाणित संस्था है।
- iii. प्रकाश एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। जो भारत में कार्यक्रम को संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

प्रकाश एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट का संबैधानिक अधिकार :-

1. ट्रस्ट बोर्ड अपने पास अधिकार सुरक्षित रखता है कि किसी भी समय किसी का आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है।
2. ट्रस्ट बोर्ड की बैठक के उपरांत ट्रस्ट के समस्त रूप-रेखा प्रस्तुत की जा रही है। जिसका अंतिम निर्णय स्वीकार होगा।
3. यह कि बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के उपरांत चयन प्रक्रिया परीक्षा के आधार पर होगा। जिसका अंतिम निर्णय बोर्ड तय करेगा।
4. यह प्रोग्राम किसी सरकार, से संबन्धित नहीं है यह प्रोग्राम केवल उपक्रम मात्र है जो ट्रस्ट द्वारा संचालित हो रहा है।
5. यह प्रोग्राम केवल मात्र 5 वर्षों तक संचालित होगा। 5 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ट्रस्ट बोर्ड की बैठक में निर्णय के बाद अगली पंचवर्षीय योजनाए द्वारा लागू होगी।
6. किसी वाद-विवाद की स्थिति में ट्रस्ट द्वारा नियुक्ति अधिवक्ता के अधीन माननीय न्यायालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ही मान्य होगा।

प्रकाश एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट का संपर्क सूत्र:-

- हेल्पलाइन नम्बर 9129457027 सोमवार से शनिवार सुबह 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक।

धन्यवाद

